आज्ञा-पत्र

दिनांक	
1 9/23	प्रा० पेश हुए वादिनी अपने पक्ष दाखिल। शपथनामा पेश करने हेतु प्रा० राष्ट्रीय लोक अदालत दि० 9-9-23 को पेश हो।
9 9/23	प्रा० पेश हुए वादिनी अपने पक्ष दाखिल। वादी की ओर से Ad सुधीप्रकाश ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी द्वितीय पेश किया गया। जो मानकिए बकाया मण्डल अजमेर ने प्रस्तुत नियमों के क्रम के अनुसार पेश किया गया है। प्रतिवादी सं० 1/6 व 2/1 से 2/4 की ओर से Ad. महेश कुमार पटेल ने वकालतनामा पेश किया। प्रति० सं० 3 की ओर से Ad जानूराम ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं० 1/1 से 1/6 व 2/1 से 2/4 व 3 स्वयं उपस्थित। शपथनामा पेश किया। प्रति० सं० 5 द्वारा दाखिल नकी हो। अतः शपथनामा आदेशिका जिल्द किया गया। आवेदनकर्ता ने आज सम्पूर्ण पक्षकारान दाखिल न होने के कारण केस निर्णय नहीं किया जा सकता है। प्रा० प्रति० सं० 5 व 5 हेतु अग्रिम 15-9-23 को पेश हो।
15 9/23	प्रा० पेश हुए वादिनी अपने पक्ष दाखिल। प्रतिवादी सं० 5 व 5 की ओर से Ad. भंवरसिंह बालापोता ने वकालतनामा पेश किया। एवं शपथनामा पेश किया। वादिनी अपने पक्ष शपथनामा के अनुसार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दि० 24.7.2012 को बहाल रखना चाहते हैं। अतः प्रकरण में न्यायालय द्वारा की गई दि० 24.7.2012 की बहाल किया जाता है। तत्पश्चात में निर्णय किया जाता है कि उक्त निर्णय व डिक्री को पालना करते। यह आदेश डिक्री का माना जाएगा। प्रा० के हाल अनुसार होकर नकल दे कर दो फाइल अपने दो निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सीकर

राजीनामे के अनुसार डिग्री में पाने में हमारी नहीं है
सूर्यप्रकाश
- वादिनी

प्रतिवादी
Adm. 3

सूर्य-1/2
एड० डि
प्र. 5 व 5

वादी
तारीख के ओर से